(FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY)

NEWSLETTER

जनवरी–2015, अंक–1

प्रिय मित्र,

नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन की ओर से नव वर्ष की मंगलकामनाएं स्वीकार करें।

नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन का वार्षिक सूचना पत्र आपको प्रेषित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विगत वर्ष, बच्चों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में, बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। प्रस्तुत रपट पत्र इस दिशा में किए गए प्रयासों की एक झलक है। इन प्रयासों में आपका सहयोग हमारी टीम को ऊर्जा और प्रेरणा देता रहा है। इस सद्प्रयास को और सशक्त करने की आवश्यकता है।

इस ठिठुरन भरी कंपकपाती ठंड में जब बच्चे सड़कों पर कूड़ा बीनते, चाय की प्याली धोते, घरों में झाड़ू–पोछा लगाते, गैराज में काम करते दिखाई पड़ते हैं, तब लगता है कि ''एजुकेशन फॉर ऑल (सबके लिए शिक्षा)'' और पोस्ट –2015 पर हम सबको मिलकर सघन रणनीति बनानी होगी।

आइए नव वर्ष में सभी बच्चों के लिए शिक्षा के सार्वभौमीकरण के नारे को सार्थक करें।

सद्भावनाओं सहित।

रामपाल सिंह
महासचिव

रमा कान्त राय
संयोजक

हमारी प्रवृत्तियां–

गत वर्ष 2014 नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पर यत्र–तत्र सूचनाएं मिलती रहीं और साथ ही बुनियादी शिक्षा के अधिकार वंचन की खबरें विचलित करती रहीं। इन सभी परिस्थितियों में सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य स्थानीय निकायों एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ हमने कई सार्थक प्रयास किए उनकी कुछ झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत है –

जनसुनवाइयां

राजस्थान की पत्थर खदानों और ईंट भट्ठों तथा अन्य खतरनाक कार्यों में काफी बाल मजदूर अभी भी कार्यरत् हैं। इन बच्चों के शिक्षा अधिकार के बारे में तथ्य इकट्ठे करना तथा अन्तर्विभागी समन्वय द्वारा हमने राजस्थान के चार जिलों में पांच जनसुनवाइयों का आयोजन किया। इन जनसुनवाइयों के आयोजन के लिए 'फेयर चाइल्डहुड जर्मन शिक्षक संघ' द्वारा हमें प्रोत्साहन भी मिला।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता तालिका में राजस्थान 33वें स्थान पर तथा महिला साक्षरता दर में देश में सबसे निचले पायदान (35वें स्थान) पर है। 2011–2012 के डाइस आंकड़ो में इस राज्य में 77,832 सरकारी स्कूल थे जिनमें से 39.22 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों तक सभी महीनों में पहुंचने योग्य सड़क नहीं है। यहां के 31.34 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में एक ही शिक्षक मौजूद है। 2011–12 के ही आंकड़ों के अनुसार इस राज्य में शिक्षक साल में 23 दिन गैर शैक्षणिक कार्यों में शामिल रहते हैं और 20.34 प्रतिशत विद्यालय बिना चारदीवारी के हैं। डाइस (डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) 2011–12 के ही अन्य आंकड़ों के अनुसार राज्य के 53.73 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं हैं। वर्ष 2013–14 के डाइस आंकड़ों में भी राजस्थान की तस्वीर कुछ ज्यादा बदली नहीं है।

राजस्थान के खनन प्रभावित इलाकों की पत्थर खदानों और ईंट भट्ठों पर गरीब एवं वंचित परिवार के बच्चे बहुतायात में संलग्न हैं। ये सभी

बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन के द्वारा इसी पृष्ठभूमि में राजस्थान के खनन प्रभावित 4 जिलों के 5 विकासखण्डों में शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन की स्थिति पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य था कि स्कूल के बुनियादी ढांचे, स्कूल का कामकाज, स्कूल प्रबंधन समितियों, पत्थर खदानों में बाल श्रम आदि जैसे मुद्दों का जायजा लिया जा सके। इन पांचों जनसुनवाइयों में बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्थानीय पंचायतीराज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों सहित 1000 से भी ज्यादा प्रतिभागी शामिल थे।

जनसुनवाई में ज्यूरी सदस्यों के रूप में राज्य बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य, जिला और ब्लाक स्तर के शिक्षा अधिकारी, श्रम नियोजन एवं पंचायती राज अधिकारी आदि शामिल थे। यह जनसुनवाई ज्यूरी सदस्यों द्वारा संचालित की गईं।

जनसुनवाइयां जहां–जहां पर की गईं उनका व्यौरा इस प्रकार है –

जनसुनवाई का स्थान	जिला	जनसुनवाई की तारीख	आच्छादित गांव /विकासखण्ड	आच्छादित विद्यालय /कस्बा/पुरवा
तालेड़ा	बूंदी	12.08.13	भगवानपुर, सूतड़ा, (भील बसती), धनेश्वर, बरदा का झोपड़ा खेड़ा, सिल्का और पराना	7
तिजारा	अलवर	05.02.14	रूपबास, बागरखेड़ा, लापला, कमलू की धानी, कच्ची बस्ती, तिजारा, घानकर, सरहेटा, बालोज	9
बिजौलिया	भीलवाड़ा	04.03.14	केशविलास, भोपतपुरा, बनका, किशनपुरिया, गोवर्धनपुरा, भिलपुरिया, बिजौलिया	7
हेमनिवास	भीलवाड़ा	04.03.14	भीलों की मकरेडी, खेरखेड़ा, हेमनिवास, मुगरवसा	4
चेचट	कोटा	29.03.14	बागड़ी बस्ती, मीना बस्ती, इंटरनेशनल कालोनी, गुदला, कंवरपुरा	4

एनसीई और उसके साझीदार बाल विकास एवं शोध संस्थान, अलवर मेवात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डेवेलपमेंट, राजस्थान मजदूर किसान यूनियन के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान के बूंदी, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जिलों के खनन क्षेत्रों में शिक्षा अधिकार संबंधी निम्न मुद्दे उभरकर आए–

★ श्रम एवं नियोजन विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस की ओर से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) संरक्षण एवं संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत इन स्थलों पर बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण तथा कोई दंडात्मक कारवाई नहीं की गई है।

★ स्कूल जाने की उम्र में बच्चे इन स्थलों पर काम कर रहे हैं, जो बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक परिस्थिति में सूचीबद्ध हैं।

★ स्कूल न जाने वाले इन बच्चों को संबंधित स्थानीय निकाय अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा न तो चिन्हित किया गया है और न ही इसका कोई दस्तावेजीकरण हुआ है।

★ इन बच्चों के आस–पास बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के निर्धारित मानकों के अनुसार 1 किलोमीटर की परिधि में सरकारी विद्यालय नहीं है और निजी विद्यालय मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं।

★ बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के प्राविधान का उल्लंघन किया जा रहा है.

★ कुछ सरकारी विद्यालयों में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को पानी पीने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। यह भी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है।

★ कई सरकारी स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

★ कुछ सरकारी विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति (deputation) पर अन्यत्र भेजा जा रहा है जिससे विद्यालय शिक्षण कुप्रभावित हो रहा है।

★ बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर से जिला स्तर तक के विभागों के बीच में कोई समन्वय नहीं है।

जनसुनवाई के दौरान ज्यूरी सदस्यों के द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश –

★ खदानों में कार्यरत् सभी बच्चों का एक सर्वेक्षण किया जाए और इन बच्चों को विद्यालय में दाखिले के द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाये और यह कार्य विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा किया जायेगा।

★ बूंदी में 1723 सरकारी विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय बनाने का आदेश दिया गया।

★ शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित किए गए बच्चों के साथ भेदभाव न किया जाय। प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों के ऊपर निगरानी रखी जाय।

★ खदान क्षेत्रों में काम कर रहे विस्थापित परिवारों के बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कराया जाय और इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका को बढ़ाया जाय।

★ विकलांग बच्चों के लिए सभी विद्यालयों में रैम्प की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

★ सभी विद्यालयों में एक सुझाव पेटिका का प्रावधान किया जाय।

★ श्रम विभाग द्वारा अलवर के ईंट–भट्ठों और कोटा, बूंदी तथा भीलवाड़ा की पत्थर खदानों में काम कर रहे बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जाय।

★ पंचायतीराज संस्थाएं बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से योगदान करे।

★ यदि आवश्यक हो, तो विस्थापित बच्चों के लिए हॉस्टल का प्रस्ताव संबंधित अधिकारी को भेजा जाय।

शिक्षा अधिकार पर आयोजित जनसुनवाई के निम्नांकित परिणाम रहे–

★ राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालोज में बच्चों हेतु नियमित पोषाहार बनना प्रारम्भ हुआ।

★ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति का पुनर्गठन किया गया तथा अभिभावक, बच्चे एवं शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार पर जानकारी दी गयी। वर्तमान में कुल 44 बालक तथा 31 बालिकाएं नियमित विद्यालय जाने लगी हैं। यह संख्या पूर्व में बालक 11 एवं बालिकाएं 6 थीं। यहां पर अब नियमित विद्यालय प्रबन्धन समीति की मासिक बैठक का आयोजन होने लगा है।

★ अलवर के गहनकर एवं भिण्डूसी के ईंट–भटटों पर कार्यरत बाल श्रमिको को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया गया परिणाम स्वरूप कुल 4 बालक एवं 3 बालिकाएं नियमित स्कूल जाने लगी है। अभिभावक एवं शिक्षकों की साझा मुहिम के परिणामस्वरूप 8 बालक एवं 7 बालिकाएं नामांकित की गई थीं लेकिन नियमित केवल 7 बच्चे ही हो पाये हैं।

★ तिजारा, अलवर की कंजर बस्ती के बच्चों के लिए आवास हेतु भूमि आवंटन को लेकर बैठक की गयी।

★ समुदाय के आपसी सहयोग से पेयजल की व्यवस्था की गई।

★ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नियमित हुए है एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई हैं।

★ रहमत का बास के पांच बालक एवं लापला के दो बालकों का स्कूलों में नामांकन हुआ है।

★ राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गहनकर हेतु भवन स्वीकृत हो पाया है।

★ बूंदी जिले के ग्राम सुतड़ा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण जनसुनवाई के बाद हो चुका है।

★ बूंदी जिले के ही तालेड़ा ब्लाक के ग्राम धनेश्वर में एक आंगनबाड़ी उपकेन्द्र को खोला गया।

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) पर एक दिवसीय कार्यशाला

नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिजनल डेवलपमेंट (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) ने मिलकर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से शिक्षा में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 24 फरवरी 2014 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के कन्वेन्शन सेंटर में किया गया।

इस कार्यशाला का उदद्देश्य सांसदों, शिक्षाविदों, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षक संघ और अभिभावकों के नजरिए से शिक्षा में निजी भागीदारी के मुद्दे पर चर्चा करना था। इस कार्यशाला में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. भुपिंदर जुत्सी, प्रो. अमरेश दुबे, डॉ. दीपेंद्र नाथ दास, डॉ. अनुराधा बॅनर्जी, प्रो. सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ. सुमन चट्टोपाध्याय, डॉ. सीमा भाटला, यूनेस्को से डॉ. अलिशर उमारो, श्री विवेक वेल्लंकी (दिल्ली विश्वविद्यालय), डॉ. आरती श्रीवास्तव (न्यूपा), डॉ. सुमन नेगी (न्यूपा), आई. एस.आई.डी. से डॉ. प्रदीप कुमार एवं डॉ. निधी सभरवाल, श्री. अशोक अग्रवाल (वरिष्ठ अधिवक्ता), जैसे शिक्षाविदों ने शिक्षा में निजी भागीदारी पर अपने विचार रखे–

★ शिक्षा का अधिकार' बच्चों का मौलिक अधिकार है एवं इसका संरक्षण करना अनिवार्य है.

★ सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान करना होगा यह सरकार की जिम्मेदारी है.

★ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होना जरुरी है.

★ सरकार को सार्वजनिक निजी भागीदारी को एक पूरक तत्व के रुप में देखना चाहिये न कि विकल्प के रुप में.

★ निजी स्कूलों हेतु शिक्षा अधिकार कानून, 2009 में संशोधन होना चाहिए.

★ यदि सरकार शिक्षा उपकर को शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा मानती है तो शिक्षा की आत्मनिर्भरता के लिए अधिक संसाधन जुटाने चाहिए और विदेशी सहायता को अस्वीकार करना चाहिए।

★ विश्व के किसी भी विकासशील देश में निजीकरण द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का उदाहरण उपलब्ध नहीं है.

★ हर राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रुप में सुनिश्चित करें

इस कार्यशाला में शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाविद, शिक्षा कार्यकर्ता, विधि विशेषज्ञों एवं मीडिया सहित 100 से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया.

क्षमता विकास कार्यशाला

''न्यायिक पैरवी एवं बहिष्करण'' 'Judicial Advocacy on Exclusion' विषय पर नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन के स्टाफ एवं साझीदार संस्थाओं के लिए तीन दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन 10 से 12 मार्च के दौरान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया ।

इस कार्यशाला में एन.सी.ई. स्टाफ और भागीदार संस्थाओं के प्रतिभागियों को –

- अधिकार आधारित दृष्टिकोण
- विश्व स्तर पर बाल अधिकार एवं नीतियां
- सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में अधिकार आधारित वकालत की भूमिका
- पैराकारी : रणनीति एवं तकनीक
- शिक्षा क्षेत्र में लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल आदि पर आधारित बहिष्करण

आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

इस कार्यशाला को श्री. एस. ए. हसन अल फारूख (ASPBAE) बांग्लादेश, सुश्री. अनिता बोरकर (ASPBAE) मुंबई, प्रो0 एम.पी. सिंह (faculty) लॉ स्कूल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय उ0 प्र0, श्री रमाकांत राय, संयोजक एन.सी.ई. आदि ने उपरोक्त विषयों पर समूह चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण आदि के माध्यम से प्रतिभागियों की समझ बढ़ाई ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा अधिकार पर जनहित याचिका

1 अप्रैल 2010 को भारत में बुनियादी शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद–21ए के तहत लागू किया. चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। यह केंद्र और राज्य की मिली–जुली जिम्मेदारी है कि देश के हर बच्चे को शिक्षा का यह अधिकार प्रदान करे। लेकिन 4 वर्षो के निरंतर संशोधन, सूचना अधिकार के अंतर्गत राज्यों से माँगी गई जानकारी, डायस और जनगणना के आंकड़ों के अध्ययन के बाद नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन ने यह पाया कि शिक्षा अधिकार को लागू हुए 4 साल बीत जाने के बाद भी देश के 14.8 प्रतिशत (डाइस आंकड़ा 2011–12 के अनुसार) और 15.9 प्रतिशत (डाईस आकड़ा 2012–13 के अनुसार) बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और तो और बहुतांश स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है।

इस अध्ययन से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि भारत के अधिकतम राज्यो में शिक्षा का अधिकार पूर्ण रुप से लागू नहीं किया जा रहा है और इसका हनन हो रहा है।

राज्यों के इस रवैये के खिलाफ भारत के संविधान की धारा 32 के हनन की अवस्था में नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 11 मार्च 2013 को जनहित याचिका (267/2014) दायर की है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह माँग की है कि

शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत –

★ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का चिन्हीकरण स्थानीय निकाय / विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाय।

★ बच्चों को शिक्षा अधिकार मानक के अनुसार पड़ोस में विद्यालय की स्थापना की जाए।

★ विद्यालय विकास योजना के अनुसार विद्यालय प्रबंधन चले।

★ 1,50,000 नए विद्यालय खोले जाएं,

★ सभी राज्यो में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो,

★ सभी राज्यों में कक्षा 8 तक विद्यालयों का उन्नयन (upgradation) किया जाए,

★ देश मे सभी संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाए,

★ शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए

★ हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाए,

★ हर विद्यालय में बुनियादी जरुरतों की पूर्ति हो, जैसे पीने का पानी, शौचालय, खेल के मैदान आदि।

★ हर निजी विद्यालय सरकार से पंजीकृत हो.

इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सभी राज्यों को जनहित याचिका पर स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है।

ग्लोबल एक्शन वीक (19–25 मई 2014)

नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन (एनसीई) ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजुकेशनन (जीसीई), जोहान्सबर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। एनसीई भारत में अपने साझीदार संगठनों के सहयोग से प्रतिवर्ष ग्लोबल एक्शन वीक का आयोजन करता है। ग्लोबल एक्शन वीक शिक्षा आन्दोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक अभियान है। इस अभियान के अन्तर्गत सबके लिए शिक्षा (ईएफए) के लक्ष्य की पूर्ति हेतु स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुने गए विषय को लेकर अभियान चलाया जाता है और नीति निर्माताओं को मांगों से अवगत कराया जाता है। ग्लोबल एक्शन वीक में समूचे विश्व के 100 देशों से लाखों लोग मुख्यतः विद्यालयों से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

भारत में प्रतिवर्ष नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन (एनसीई) द्वारा ग्लोबल कैम्पेन फॉर एजुकेशन के समकक्ष राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एक्शन वीक जैसे नागर समाज अभियान का नेतृत्व किया जाता है। इस वर्ष ग्लोबल एक्शन वीक के तहत वैश्विक स्तर पर चयनित विषय था **'विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा', ''समान अधिकार, समान अवसर''।**

एक मोटे अनुमान के मुताबिक विश्व में कुल 1 अरब लोग किसी न किसी विकलांगता के शिकार हैं। इसी अनुमान के अनुसार इनमें से 9.3 करोड़ बच्चे जोकि 14 साल तक की उम्र के है, विकलांगता के साथ जी रहे हैं। इन बच्चों को समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में समान रुप से भाग लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है ।

इस वर्ष भी एनसीई द्वारा 17 राज्यों में साझीदार संगठनों (शिक्षक संघ एवं नागर समाज संगठन) के साथ मिलकर ग्लोबल एक्शन वीक का आयोजन किया गया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में साझीदार संगठनों द्वारा कई गतिविधियों/समारोहों/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें विकलांग बच्चों ने गहन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इन गतिविधियों में स्कूल के बच्चे, बच्चों के माता–पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरकार के प्रतिनिधियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।

ग्लोबल एक्शन वीक–2014 का समापन समारोह दिल्ली के विश्व युवक केंद्र

में 24 मई 2014 को संपन्न हुआ। इस समारोह में सरकार के प्रतिनिधि, जीसीई, एनसीई के सहयोगी नागर समाज संगठन जैसे यूनेस्को, एक्शन एड, वर्ल्ड विजन, सीबीएम, सार्ड, यूनीसेफ, अर्थ आस्था, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ और विकलांगता समूह के साथी संगठनों ने भाग लिया। एनसीई के महासचिव श्री. रामपाल सिंह ने समापन समारोह में सबका स्वागत करते हुए विकलांग बच्चों को शिक्षा अधिकार दिलाने में शिक्षकों की भूमिका की पैरवी की।

इस समारोह को श्री. शिगेरु आयोगी डायरेक्टर यूनेस्को, अंजला तनेजा (जी. सी.ई), सुश्री पूनम नटराजन, सुश्री कुशल सिंह अध्यक्ष केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री. अवनीश अवस्थी संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अमिता टंडन यूनिसेफ इंडिया और श्री रमाकांत राय संयोजक एन.सी.ई. ने संबोधित किया। इस समारोह में विशेषज्ञ जैसे डॉ. एम. एन.जी. मणी, डॉ. अनिल अनेजा, डॉ. सारा व्हर्गिस और वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज शुक्ला और जितेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे. इस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को एक ज्ञापन और एक ऑनलाईन पेटीशन दिया गया।

''शिक्षा अधिकार कानून और निजी विद्यालय'' विषयक एक दिवसीय कार्यशाला

कोएलीशन द्वारा 8 जुलाई 2014 को दिल्ली में एक राष्ट्रस्तरीय कार्यशाला का आयोजन नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन द्वारा किया गया। ''शिक्षा अधिकार कानून और निजी विद्यालय'' पर किए गए एक अध्ययन से प्राप्त अनुभवों को सभी सहभागियों के बीच बांटना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। यह अध्ययन निजी विद्यालयों में एनसीई द्वारा अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण पर आधारित था। कार्यशाला में सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों के निजी विद्यालयों के बच्चे, उनके अभिभावक, स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने अनुभवों को सभी के साथ बांटा।

कार्यक्रम में एशिया साउथ पेसिफिक बेसिक एडल्ट एजुकेशन, (ASPBAE), फिलीपीन्स से रेने राया, थिया सोरियानो, सुश्री सुमेधा शर्मा, अनीता बोरकर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय कुमार, वादा ना तोड़ो अभियान से सुश्री पूजा पार्वती, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह, श्री अजीत सिंह निदेशक (पीडीपी कार्यक्रम) AIPTF एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे केयर, एक्शन एड, वर्ल्ड विजन इण्डिया एवं कॉर्ड के प्रतिनिधियों आदि ने भी भागीदारी की।

विद्यालय प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षा अधिकार क्रियान्वयन के पूरी तरह से फलीभूत होने में विद्यालय प्रबंधन समितियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोएलीशन द्वारा समितियों के पदाधिकारियों हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण समितियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए जिससे शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 पूर्णतया लागू हो सके। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल कोएलीशन द्वारा अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर आयोजित किए गए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के दौरान चार राज्यों के 7 जिलों में सम्पादित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षा अधिकार कानून 2009 के प्रावधानों के बारे में चर्चा के साथ–साथ समितियों के गठन, भूमिका, जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों पर सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के संचालन में आने वाली समस्याओं का चिन्हीकरण प्रतिभागी समूह द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सदस्यों द्वारा भविष्य की रणनीति भी तैयार की गई। 11 प्रशिक्षणों में लगभग 350 प्रतिभागियों द्वारा सहभागिता की गई।

दिनांक	जिला	प्रदेश	सहयोगी संस्थान
9 एवं 10 अक्टूबर	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	बाल कल्याण एवं शोध संस्थान
7 एवं 8 अक्टूबर	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	एम
7 एवं 8 अक्टूबर	बांदा	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ
13 एवं 14 अक्टूबर	पटना	बिहार	सीएसईआई,
15 अक्टूबर	पश्चिमी दिल्ली	दिल्ली	अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ
10 एवं 11 अक्टूबर	देहरादून	उत्तराखंड	उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ
20 अक्टूबर	मेरठ	उत्तर प्रदेश	भारत उदय एजुकेशन सोसाइटी

शिक्षा अधिकार पर क्षेत्रीय संगोष्ठी

नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन द्वारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और वर्ल्ड विजन के साथ मिलकर शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर बिहार की राजधानी पटना और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मंत्रणा की गयी। इसी क्रम में दिल्ली में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उ०प्र०, उत्तराखण्ड आदि राज्यों के शिक्षक संगठनों एवं नागर समाज संगठनो के प्रतिनिधियो के साथ क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इसी प्रकार पटना में आयोजित मंत्रणा में झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के शिक्षक और नागर समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित इन मंत्रणाओं का उद्देश्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वन का जायजा लेना था। साथ ही नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन (एनसीई) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई जनहित याचिका, जो कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने से संबंधित है, के लिए नए साक्ष्यों को जुटाना था।

एनसीई द्वारा कुछ प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच/सेमिनार/ कार्यक्रमों में सहभागिता –

राष्ट्रीय स्तर पर

- National Seminar on RTE Act 2009 organized by NCPCR
- Global Monitoring Report Launch by UNESCO
- Seminar on Child Rights & RTE by UNICEF
- Education Manifesto Meet by RTE Forum
- Meeting on Girl Rising by USAID
- Shiksha Yatra by AIPTF
- International seminar on Life & Skill Development for Youth organized by PRIA & ASPBAE
- Seminar on Budget, CBGA
- Participation in UNITE Campaign for Quality Education by AIPTF, AISTF & AIFTO
- Visit by fair childhood GEW- Foundation, Germany
- Visit by Loo Niva Child Concern Group, Nepal

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर–

- "शिक्षा पर फेस्टिवल ऑफ लर्निंग" – 18 से 21 नवम्बर 2014, इंडोनेशिया में एसिया साउथ पेसिफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एडल्ट एजुकेशन (ASPBAE) द्वारा आयोजित
- "सबके लिए शिक्षा" पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी – 4 से 12 अगस्त 2014, थाईलैंड में यूनेस्को द्वारा आयोजित

नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन
शिक्षक भवन, 41 इंस्टिट्यूशनल एरिया, डी–ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोनः 011–28526851•ईमेलः info@nceindia.org • www.nceindia.org

All India Primary Teachers Federation
All India Federation of Teachers Organisations
AISTF All India Secondary Treachers' Federation
AIACHE All India Association of Christian Higher Education
Parliamentary Forum on Education
World Vision INDIA